वन(संरक्षण) अधिनियम,1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

विषय सूचा

क0सं0	प्रमाण–पत्र/अन्य सूचनायें	पृष्ठ सं0
1.	प्रतिवेदन	
2.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	
3.	भारत सरकार के प्रपत्र (I से V)	
4.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	
5.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या (SIR) (प्रपत्र–5)	
6.	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	
7.	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	
8.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची	
9.	काटे जाने वाले वृक्षों की मूल्य सूची एवं आउट–टर्न	
10.	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	
11.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र	
13.	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का डिजीटाईस एंव जियो रिफरेन्स मानचित्र	
14.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन एंव उपयुकतता प्रमाण–पत्र	
15.	परियोजना का बार चार्ट	
16.	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित होने अथवा न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	
17.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एंव प्राक्कलन	
18.	वैकल्पिक समरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	
19.	आम सभा का प्रमाण–पत्र	
20.	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	
21.	भू–वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)	
22.	भू–वैज्ञानिक एवं जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	
23.	वन्य जीवों एंव वनस्पतियों को क्षति न पहुॅचाये जाने का प्रमाण–पत्र	
24.	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	
25.	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	
26.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	
27.	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	
28.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
29.	वन भूमि के मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र	
30.	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	
31.	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	
32.	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
33.	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
34.	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	
35.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र	
36.	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	
37.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	
38.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
39.	अन्य प्रमाण–पत्र /ले–आऊट प्लान एंव आंकलन /प्रक्कलन	
40.	फैक्ट शीट	

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु (अनुमानित लागत —रू0 29.40 लाख) — जनपद— उतरकाशी में **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के अन्तर्गत **Badethi to Joshiyara** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.147 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना से जनपद के लगभग सभी वासियों को ब्राडबैण्ड, मोबाईल, लैण्ड लाईन तथा कई और उच्च तकनीकी संचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/—

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश</u>

संलग्न है।

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

ह0/—

प्रयोक्ता एजेन्सी

फार्म "क"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.स.	विवरण	कियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :– क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 29.40 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	दूरसंचार सेवा प्रदान करना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुशल /अकुशल श्रमिको को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः–	0.147 है0 वन भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नहीं
	क)परिवारों की संख्या	शून्य
	ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग)पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नही)	हॉ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावजेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम (

Vindhya Telelinks Limited Punjab

मोहर

प्रस्ताव की कम संख्या.....

.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम :– जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उतरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	[illegible] वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.147 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.000 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि मेलगढ़ कक्ष सं–.................. 0.147 हैक्टर सिविल सोयम भूमि ग्राम .... 0.147 हैक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	– –
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित कार्य स्थल आरक्षित वन भूमि मेलगढ़ कक्ष सं0 .... एंव ग्राम ....की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृश्ठ सं0 – .... पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृश्ठ सं0 – .... पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृश्ठ सं0 – .... पर चस्पा है।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – .... .से .... पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – .... .से .... पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोषीट मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय /लोकेषन मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:–** स्वयं वन विभाग। **समय:–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 .... (रू0 . ... मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – .... से .... पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	हेतु रू0 .... (रू0 .... मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं0 – .... पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	डुण्डा वन प्रभाग /जिला– उतरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	.... वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	.... वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल .... है0 वन क्षेत्र है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र .... है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) .... हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:– (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	(क) 1– .... है0 / .... में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रष्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: – –2017।

नाम:– ( )

स्थान:– उतरकाशी

सरकारी मुहर

भाग–।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि.....
स्थान.....

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

VINDHYA TELELINKS LTD MOHALI द्वारा: बडेथी से जोशीयारा तक

परियोजना का नामः– पोल की स्थापना के माध्यम से ओएफसी बिछाना

अनुभाग का नाम- BADETHI – JOSHIYARA

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21/09/2017 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय
वन विभाग की ओर से श्री पपेन्द्र सिंह व.द. निसभ्मोर क्षेत्र, रमेश लाल शाह व.द. बाडाहाट
राजस्व विभाग की ओर से श्री प्यार सिंह चौहान, उदय सिंह भण्डारी
प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि NIL हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.147 हे0, वन पंचायत भूमि NIL हे0 एवं नाप भूमि .... हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) उपरोक्त क्षेत्र मे आरक्षित वन भूमि नही है. बडेथी से जोशीयारा जो कि सिविल भूमि है 4.91km. सिविल भूमि रा. राजमार्ग (108 NH) और PWD Uttarkashi पर है.

ह0/– (Singh)
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
MOHAN SINGH
ENGINEER
VINDHIYA TELELINKS LTD

ह0/–
राजस्व विभागीय प्रतिनिधि
पटवारी ...
तहसील ...
उप जिलाधिकारी ...

ह0/–
वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि
वन विभागीय प्रतिनिधि

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

N.A. 6.XII.17

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजनाकानामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

लैन्ड शेड्यूल

(वन विभाग)

जिला	प्रभाग / रेंजकानाम	वनब्लाक	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	क्षेत्रफल(वर्ग मी0)	क्षेत्रफल (हे0)
उतरकाशी	बाडाहाट	बाडाहाट	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

Scanned by CamScanner

Headquarters
36 Border Roads Task Force
PIN: 930 036
C/O 56 APO

2900/ROW Permission/ VTL/ 13 /E2

27 Dec 2017

General Manager
Vindya Telelinks Ltd
EPC Div, Plot No. E-237
Tower Greens, 3rd Floor
Phase- VIII B, Industrial Area
Mohali, Punjab- 160055

GRANTING ROW PERMISSION FOR LAYING TELECOM CABLES/ OFC FROM CHAMBA MARKET TO DHARASU BEND KM 60.627 TO KM 143.350 ON R-D ROAD AND KM 0.00 TO KM 25.716 ON D-G ROAD TOTAL LENGTH 108.349 KM.

1- On the basis of under mentioned documents submitted by your firm row permission laying of telecome cables / OFC on poles (aerial mode) along the road chamba market to dharasu bend km 60.627 to km 143.350 on r-d road and km 0.00 to km 25.716 on d-g road total length 108.349 km is here by granted.

(a) Agreement (MOU) alongwith connected papers.

(b) Bank Grantee for 108.349 kms length for Rs. 1,0843500.00 against BG No. 170138IBGP00137

2. Any violation to the conditions stipulated in the ibid agreement (MoU) will render this ROW permission invalid.

HQ 36 BRTF (GREF) Pin 930036 C/O 56 APO

(S C Srivastava)
SE, (Civ)
Commander

Copy to: —
HQ CE(P) Shivalik
Pin : 931718
c/o 56 APO

— For info please

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों **gsrqAVindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Panjab)**को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवंसोयम, वनपंचायत एवंनाप भूमि) कालैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारानिर्धारितप्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	भूमिका प्रकार	खसरा सं0	लम्बाई (मी0में)	चौड़ाई (मी0में)	याचित क्षेत्रफल(वर्ग मी0)	याचित क्षेत्रफल (हे0)
उतरकाशी	डुण्डा	डुण्डा	सिविल	.....	4900.00	0.3	1470.00	0.147
			नाप	.....	0	0	0	0
कुल योग :—					**4900.00**	**0.3**	**1470.00**	**0.147**

ह0/—
जिलाधिकारी

28/11/17
तहसीलदार
डुण्डा

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Barethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

<u>प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से (हवाई) दूरी का प्रमाण–पत्र</u>

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 10 किमी0 से अधिक दूरी पर है।

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़हाट वन राजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

परियोजना का नामः– जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

वारचार्ट

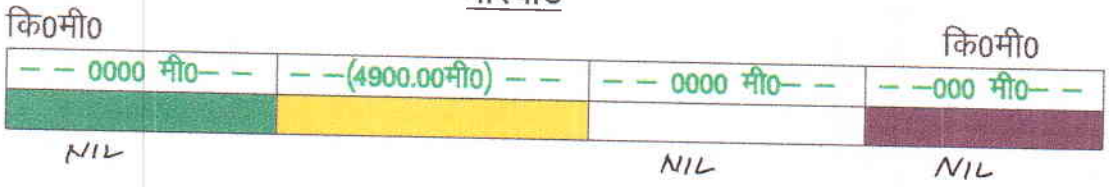

आरक्षित वन भूमि	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	
वन पंचायत भूमि	
नाप भूमि	

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़हाट वन राजि

तहसीलदार
डुण्डा

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नामः–जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कोई वृक्ष वाधित /प्रभावित होने निहित नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन रा़जि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उतरकाशी वन प्रभाग

परियोजना का नामः–जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

रिक्त

ह0/–
प्रधान/सरपंच
मोहर

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

परियोजना का नामः—जनपद उतरका ी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

परियोजना की लम्बाई—चौड़ाई का प्रमाण—पत्र।

जनपद उतरका ीके विकास खण्ड़ चिल्यानीसैरअन्तर्गतमोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतुआरक्षितवन भूमि की लम्बाई—0.00 मीटर, चौड़ाई—0.00 मीटर कुल0.00 वर्ग मीटर अर्थात 0.00हे0 तथा सिविल एंव सायेम भूमि में लम्बाई— 4900 मीटर, चौड़ाई— 0.3 मीटर कुल 1470वर्ग मीटर अर्थात 0.147हे0 कुल लम्बाई 4900.00 मी0 चौड़ाई—0.3 जिसका कुल क्षेत्रफल 1470.00 वर्गमी0 अर्थात 0.147 है0 है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

भूमि का प्रकार	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	क्षेत्रफल (है0 में)
आरक्षित वन	0.00	0.00	0.00	0.00
सिविल एंव सायेम भूमि	4900.00	0.3	1470.00	0.147
वन पंचायत भूमि	—	—	—	—
कुल वन भूमि	**4900.00**	**0.3**	**1470.00**	**0.147**
नाप भूमि	—	—	—	—
कुल भूमि	**4900.00**	**0.3**	**1470.00**	**0.147**

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

तहसीलदार
डुण्डा

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण न होने के कारण अन्य वैकल्पिक समरेखणों पर विचार नहीं किया गया। प्रस्तावित समरेखण को उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

भू—वैज्ञानिक की आख्या

प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक की आख्या की आवश्यकता नहीं है।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नामः–जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख—रखाव के दौरान प्रस्तावक /कार्यदायी संस्था द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/—

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु ..0.147.......है0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये—70000/-——प्रति है0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0...10290/— होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट ....../.......प्रतिशत की दर से ....../.......रू0 होता है।

ह0/
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षर
ह0/
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM).**

मलवें के निस्तारण का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे को केबिल लाईन को दबाने आदि पूर्णतयाः इस्तेमाल किया जायेगा तथा उत्पादित मलवे को आस—पास की वन भूमि में नहीं फेंका जायेगा। अतः मक डिस्पोजल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल /कुकिग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल /कुकिग गैस की आपूर्ति जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – जोशियाड़ा.....

तहसील –

जिला – उतरकाशी।

जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु। अपेक्षित **0.147 है0** वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** के पक्ष में 30 वर्शों की लीज पर दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोशियाड़ा..... द्वारा दिनांक 24/4/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोशियाड़ा..... .के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** के पक्ष में 30 वर्शों की लीज पर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0

प्रधान
ग्राम पंचायत जोशियाड़ा
वि0ख0–भटवाड़ी(उत्तरकाशी)
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Vindhya Telelinks Limited Punjab

दिनांक 24/11/2017..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा – बंग्लों की काण्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दीपक कुमार	Dipkumar
2	कुलदीप राणा	कुलदीप राणा
3	भावना देवी	भावना देवी
4	रेखा राणा	Rekha
5	मनोज सिंह	Manoj
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, डुण्डाउत्तरकाशी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति, डुण्डा, उत्तरकाशी

उपखण्ड डुण्डा उत्तरकाशी परिक्षेत्र के उत्तरकाशी वन प्रभाग की बड़ाहाट रेंज के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Barethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)**तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.147 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित0.147है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु**Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)**के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील –) की दिनांक 6/4/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006एंव नियम 2008के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री........ उप जिलाधिकारी........ अध्यक्ष।
2. श्री आर. बी. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी........ सदस्य।
3. श्री........ सहायक समाज कल्याण अधिकारी........ सदस्य।
4. श्री........ बी0डी0सी0 क्षेत्र........ सदस्य।

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के बड़ाहाट रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Barethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)**तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.147 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित0.147है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु**Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)**के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (बड़ाहाट)उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी वन प्रभाग के बड़ाहाट रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी **के विकास खण्ड** डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Barethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)**तक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील............. / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति

उप जिलाधिकारी
डुण्डा
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी
जिलास्तरीय समिति

Vindhya Telilinks Limtets. EPC Division Industrial area Mohali Punjab द्वारा जिला उत्तरकाशी के विकास खण्ड बाड़ाहाट के अन्तर्गत बडैथी से जोशीयाड़ा तक 0.147 है0 में आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07/04/2017 को आयोजित की गई जिनमें निम्न अधिकारी गण उपस्थित हुए है।

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4		जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	सदस्या जिला पंचायत-04 वि0क्ष0-बाटवाड़ी, उत्तरकाशी

परियोजना का नामः– जनपद उतरकाशी के विकास खण्ड़ डुण्डा अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Badethi to Joshiyara (Total Length-4.9 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.147 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab)** को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

फैक्ट शीट

1. प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसारी क्षेत्रफल (है0 में) :–

आरक्षित वन भूमि (वन विभाग)	–	0.000 है0
वन पंचायत भूमि	–	0.000 है0
सिविल सोयम भूमि	–	0.147 है0
निजी /नाप भूमि	–	0.000 है0
योग	–	0.147 है0

प्रस्तावक विभाग का नाम –**Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)**

2. वन प्रभाग का नाम डुण्डावन प्रभाग।
3. प्रस्ताव बाईडिंग किया है। – हॉ /नहीं
4. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है। – हॉ /नहीं
5. क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्रारूप के भाग– 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की भरी गई है। – हॉ /नहीं
6. क्या प्रारूप में वाछिंत स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। – हॉ /नहीं
7. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। – हॉ /नहीं
8. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ /नहीं,
9. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है। – लागू नहीं।
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। – लागू नहीं।

11.	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची है।	–	लागू नहीं।
12.	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।	–	हॉ /नहीं
13.	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।	–	(लागू नही है)
14.	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।	–	लागू नहीं।
15.	प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर /परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
16.	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।	–	हॉ /नहीं
17.	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हॉ तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
18.	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।	–	हॉ /नहीं
19.	प्रस्तावित मार्ग नया प्रसतावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनारया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।	–	हॉ /नहीं
20.	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–अलग रंगों से भरा गया है।	–	हॉ /नहीं
21.	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	–	हॉ /नहीं
22.	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है।	–	हॉ /नहीं
23.	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एंव उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।	–	हॉ /नहीं
24.	सड़क निर्माण हेतु तलासी गयी अन्य सम्भावनाऐं /वैकल्पिक समरेखण मानचित्र मानचित्र पर दशाये गये है।	–	हॉ /नहीं
25.	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	–	हॉ /नहीं
26.	लागत–लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)	–	हॉ /नहीं (लागू नही है)
27.	मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है	–	हॉ /नहीं
28.	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
29.	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	–	हॉ /नहीं
30.	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्रारें की फोटों प्रतियां	–	हॉ /नहीं

मूल में संलग्नप है यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी है। – हॉ /नहीं

31. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ /नहीं

32. वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। – हॉ /नहीं

33. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण–पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हॉ /नहीं

34. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है। – हॉ /नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण–पत्र /सूचनाऐं संलग्न कर दी गयी है।

Vindhya Telelinks Limited Punjab

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–

प्रभागीय वनाधिकारी

Annexure – II

Form – II

(For projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector Uttarkashi

No. 157/2018 Date: 31-1-18

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to the diverted for non-forest purpose, it is certified that **0.147** hectares of forest land proposed to the diverted in favour of **Vindhya Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 8B Mohali, Punjab** with in jurisdiction of **Josiyada** village in **Bhatwadi** Tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire **0.147** Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I To annexure II

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA

(c) The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Josiyada** Villages (s) is enclosed as annexure I To annexure II

(d) The discussion and decisions on such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : as above

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(SIGNATURE)

(Full Name and official Seal of the District Collector)

Annexure -1

FORM -1

(For linear project)

Government of _____

Office of the District Collector Uttarkashi

No .157 /2018 Dated: 31-1-18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.147** hectares of forest land proposed to be diverted in fabour of **Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 83 Mohali, Punjab** for **Laying Optical Fiber Cable Aerial** is **Uttarkashi** district falls within jurisdiction of **Josiyada** village (s) in **Bhatwadi** Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.147** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of ail consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I to Annexure II

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ENCL: as above

Signature

(full name and office seal of the District Collector)

10-46/2010- CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20 - Ashoka Road
New Delhi - 110001

VINDHYA TELELINKS LTD. REWA (M.P.)
RECEIVED
25 OCT 2010
Subject to Verification of the Contents
900984

To

Dated : 11.10.2010

M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWA – 485006

Subject: Registration Certificate for Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

Please find enclosed herewith the Registration Certificate No.342 /2010 dated 11.10.2010 issued to M/s Vindhya Telelinks Limited.

The following points should be noted for strict compliance by IP-I Provider:

(i) The scope of IP-I provider is limited to establish and maintain assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis only to the licensed Telecom Service Providers licensed under Section – 4 of Indian Telegraph Act, 1885, on mutually agreed terms and conditions.

(ii) The IP-I provider has to submit to DoT a copy of agreement entered into with the licensed Telecom Service Providers within 15 days of signing such agreement.

(iii) Any breach of the terms and conditions given in the enclosed Registration Certificate will lead to cancellation of the registration without any further notice.

11.10.2010
(S.T.Abbas)
Director (CS-III)

(एस. टी. अब्बास/S. T. ABBAS)
निदेशक (सी.एस.-III)
Director (CS-III)
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
Deptt. of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

10-46/2010-CS-III

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhavan, 20, Ashoka Road
New Delhi-110001

Registration Certificate No.: 342/ 2010 **Date: 11 .10.2010**

Registration Certificate For Infrastructure Provider Category-I (IP-I)

This is to certify that M/s **VINDHYA TELELINKS LIMITED** with registered office at **PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA, REWA – 485006** is registered as Infrastructure Provider Category I (IP-I) to establish and maintain the assets such as Dark Fibres, Right of Way, Duct Space and Tower for the purpose to grant on lease/rent/sale basis to the licensees of Telecom Services licensed under Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885 on mutually agreed terms and conditions.

2.0 In no case the company shall work and operate or provide telegraph service including end to end bandwidth as defined in Indian Telegraph Act, 1885 either to any service provider or any other customer.

3.0 The company shall submit a copy of an Agreement entered into with the other service providers including Infrastructure Provider Category II (IP-II) within 15 days of signing of such Agreement.

4.0 The company shall provide the said infrastructure in a non-discriminatory manner.

5.0 In the event of any question, dispute or difference arising under this Registration, or in connection thereof, except as to the matter, the decision of which is specifically provided elsewhere under this Registration, the same shall be referred to the sole Arbitrator appointed and nominated by the Director General Telecommunications or by whatever designation Director General Telecom may be called, hereinafter called the "ARBITRAL TRIBUNAL".

5.1 This Registration Certificate and any dispute thereof shall be governed by the substantive provisions of Indian law.

5.2 The venue of Arbitration shall be New Delhi or as may be fixed by the ARBITRAL TRIBUNAL anywhere in India.

5.3 The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 and rules framed thereunder or any modifications or re-enactment thereof made from time to time.

Vindhya Telelinks Limited Punjab

6.0 The Registered company can provide the infrastructure as stated above to any licensee of Telegraph services Licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act 1885. The company shall, in no case, grant in any manner the infrastructure to any erstwhile Licensee whose licence is either terminated or suspended or not in operation at given point of time. In the event of any infrastructure allowed before hand, then the Registered company shall be obliged to withdraw the grant of infrastructure and to disconnect or sever connectivity immediately without loss of time and further, upon receipt of any reference from the Licensor in this regard, disconnection shall be made effective within an hour of receipt of such reference. On the question of disconnectivity the decision of the Director General Telecom shall be final.

7.0 The Registered company shall provide necessary facilities depending upon the specific situation at the relevant time to the Government to counteract espionage, subversive act, sabotage or any other unlawful activity.

7.1 The Registered company shall make available on demand to the agencies authorized by the Government of India, full access to the network for technical scrutiny and for inspection which can be visual inspection or any operational inspection.

7.2 All foreign personnel likely to be deployed by the Registered company for installation, operation and maintenance of the Registered company network shall be security cleared by the Government of India prior to their deployment. The security clearance will be obtained from the Ministry of Home Affairs, Government of India, who will follow standard norms in the matter.

7.3 The Registered company shall ensure protection of privacy of communication and ensure that unauthorized interception of messages does not take place.

7.4 The Government shall have the right to take over the equipment and networks of the Registered company or revoke/terminate/suspend the Registration of the company either in part or in whole as per directions if any, issued in the public interest by the Government in case of emergency or war or low intensity conflict or any other eventuality. Provided any specific orders or direction from the Government issued under such conditions shall be applicable to the Registered company and shall be strictly complied with. Further, the Government reserves the right to keep any area out of the operation zone of the service if implications of security so require.

7.5 Government reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest.

7.6 The Registered company will ensure that the Telecommunication installation carried out by it should not become a safety hazard and is or in contravention of any statue, rule or regulation and public policy.

8.0 Any breach of the above terms will lead to cancellation of the registration without any further notice.

(S.T.Abbas)
DIRECTOR (CS-III)

(एस. टी. अब्बास/S. T ABBAS)
निदेशक (सी. एस.-III)
Director (CS-III)
दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
Deptt. of Telecom, Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

To
M/s VINDHYA TELELINKS LIMITED
PLOT NO. 1C & D, UDYOG VIHAR, P.O. CHORHATA,
REWA – 485006

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-DL27931995088810IM
Certificate Issued Date	:	31-Oct-2014 04:37 PM
Account Reference	:	IMPACC (IV)/ dl787703/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL78770352676591775499M
Purchased by	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Description of Document	:	Article 48(c) Power of attorney - GPA
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VINDHYA TELELINKS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

The Seal of Notary Public ★ Appointed by NCT of Delhi ★
Mithlesh Agarwala
Regd. No. 0105/06

Please write or type below this line

POWER OF ATTORNEY

BE IT KNOWN TO ALL BY THIS INSTRUMENT that I Y.S. Lodha, Son of Late Shri Manohar Singh Lodha, Managing Director and duly constituted Attorney of M/s Vindhya Telelinks Limited, Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa (M.P.) 486006, India do hereby delegate my power under my Power of Attorney to Mr. Sudhir Chauhan, Son of Shri Sahab Singh Chauhan, Resident of H No. 103, New Mohanpuri, Meerut City - 251001 (UP), India also an officer of our concern at EPC Division, New Delhi, to do , perform and execute the acts and things hereunder mentioned:

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Vindhya Telelinks Limited
Punjab

(1) To sign all documents related to Right of Way permission for Laying of Optical Fibre Cable Network in the state of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Jammu & Kashmir.

(2) To negotiate on behalf of the Company for the above matters.

(3) To sign and accept all documents related to above matters.

AND I hereby agree that all the deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by the company and undertake to ratify and confirm all whatsoever the said Attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of the power hereby given.

IN WITNESS WHEREOF I have signed the deed on this 25th day of November 2014 at New Delhi.

EXCUTANT

(Y. S. LODHA)

Signature of Mr. Sudhir Chauhan

WITNESS:

1.

2. (GYANESHWAR JHA)

ATTESTED

Notary Public Delhi

25 NOV. 2014